WEEKLY FOCUS
#56, DEC 2021

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

स्कूली शिक्षा: मस्तिष्क कोरा कागज होता है

परिचय

मस्तिष्क कोरा कागज होता है। दूसरे शब्दों में माइंड एक टैबुला रासा (कोरी स्लेट की तरह) है। मस्तिष्क शुरू में या जन्म के समय ज्ञान या चरित्र/विशेषताओं से रहित एक कोरे कागज की भांति होता है। **टैबुला रासा (Tabula Rasa)** का यह सिद्धांत 17वीं शताब्दी में अंग्रेज दार्शनिक **जॉन लॉक** द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि शुरूआती वर्षों में प्राप्त अनुभव और सीख, व्यक्ति में पूरे जीवन मौजूद रहती हैं और उसे आजीवन प्रभावित करती हैं। अत: इस महत्त्वपूर्ण अवधि में छात्र के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होने के कारण **स्कूली शिक्षा**, इस **"कोरी स्लेट" को भरने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।**

अब प्रश्न यह उठता है कि **स्कूली शिक्षा क्या है** और इसे इतना **महत्त्वपूर्ण क्यों** माना जाता है? भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की **विशेषताएँ** क्या हैं? वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली की **उपलब्धियाँ** क्या रही हैं? इसके सामने कौन–सी **चुनौतियाँ** मौजूद हैं? **नई शिक्षा नीति, 2020** इन मुद्दों का कैसे समाधान करती है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर कौन–से हस्तक्षेप किये जा सकते हैं? इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे।

स्कूली शिक्षा क्या है और यह इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों है?

संक्षेप में, स्कूल/विद्यालय एक ऐसी संस्था है, जो सीखने (लर्निंग या अधिगम) की प्रक्रिया में बच्चों की मदद करती है। इस सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण, विद्यालय की संस्कृति, उपलब्ध संसाधन और विद्यालय के प्रत्येक ऐसे पहलू शामिल होते हैं जो छात्र के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चों को लगभग 12 से 15 वर्षों तक शिक्षा दी जाती है। कई बार छात्र को उसके शुरूआती जीवन के 18 वर्षों तक स्कूली शिक्षा मिलती है। इस प्रकार, यह एक छात्र के जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

एक छात्र के जीवन में बेहतर गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा के महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

- **लर्निंग प्रकिया के बुनियादी आधार के निर्माण हेतु:** एक बच्चे के मस्तिष्क के **85% से अधिक हिस्से का विकास 6 वर्ष की आयु से पहले** हो जाता है। यह मानव मस्तिष्क के स्वस्थ विकास और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और सक्रियता के व्यापक महत्त्व को दर्शाता है।
    - भारत में, स्कूली शिक्षा आंगनवाड़ी, प्री–स्कूल या बालवाटिका के रूप में 3 वर्ष की आयु से शुरू होती है। इस प्रकार, यह सीखने/अधिगम की शुरुआती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।
- **एक अतिसंवेदनशील मस्तिष्क की विशेषताओं को एक स्वरूप/आकार प्रदान करने हेतु:** विविध पृष्ठभूमि से संबंधित बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और आचार संहिता तंत्र के साथ स्कूल, समाज के एक सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करता है। छात्र इस सूक्ष्म जगत में समानता, समानुभूति, मित्रता, ईमानदारी जैसे मूल्यों को सीखते हैं।
    - उदाहरण के लिए, प्रारंभिक वर्षों में ईमानदारी से युक्त लर्निंग, छात्र में अनैतिक व्यवहार के प्रति एक स्थायी "अपराध बोध की भावना" को उत्पन्न करता है।
- **एक एकीकृत लर्निंग परिवेश के लिए अवसर प्रदान करने हेतु:** सीखने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी को संस्थागत रूप देकर छात्रों के लिए एक एकीकृत लर्निंग माहौल स्थापित करने के लिए छात्रों, परिवारों और समाजों के बीच निरंतर पारस्परिक व्यवहार का लाभ उठाया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, **आर.टी.ई. अधिनियम** के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि स्कूल प्रशासन और स्थानीय समुदाय के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक कार्यशील स्कूल प्रबंधन समिति को स्थापित किया जाना चाहिए। इसमें माता–पिता, स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारी, शिक्षक और स्थानीय शिक्षाविद या बच्चे शामिल होते हैं।

समुदाय, माता–पिता और स्कूल के बीच संचार के तीन रूप

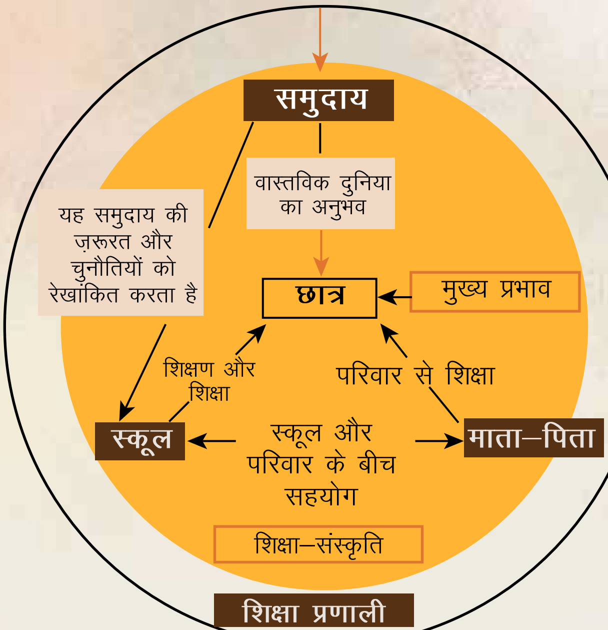

- **खोज और आत्म–संधान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु:** शिक्षकों, समकक्षों, सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता तथा समय की पर्याप्तता, छात्र में आत्म–संधान की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए आवश्यक सभी घटकों को प्रदान करने में मदद करते हैं। अन्वेषण/खोज की प्रक्रिया छात्रों को उनकी रुचियों और कौशलों तथा उनकी संपूर्ण क्षमता की पहचान करने में मदद कर सकती है।
- **राष्ट्रीय और वैश्विक विकास को सुनिश्चित करने हेतु:** व्यक्ति के समग्र विकास को सक्षम करके, बेहतर स्कूली शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक विकास को सुनिश्चित करने में सहयोग करती है।

स्कूली शिक्षा के संदर्भ में हमने कौन–सी उपलब्धि हासिल की है?

भारतीय शिक्षा नीति: विकासक्रम

यह विकासक्रम स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर लागू की गई नीतियों को रेखांकित करता है:

1952-53 – माध्यमिक शिक्षा आयोग
इसके तहत माध्यमिक शिक्षा हेतु आयु समूहों, उद्देश्यों और मातृभाषा के महत्त्व, पाठ्यचर्या सामग्री और 'बहुउद्देशीय विद्यालयों' के संबंध में लक्ष्य स्थापित करने के साथ ही सिफारिशें की गई थीं।

1964-66 – कोठारी आयोग
इसने प्रासंगिक शिक्षा, उत्पादकता में सुधार, राष्ट्रीय एकीकरण, नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने और इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें की थीं। इसके बाद वर्ष 1968 में भारतीय शिक्षा नीति की नींव रखी गई।

1968 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति
National Policy on Education (NPE)
इसमें 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अवसर की अधिक समानता, त्रिभाषा फार्मूला और उन्नत शिक्षक शिक्षा जैसी शर्तों को शामिल किया गया था।

1976 – 42वाँ संविधान संशोधन
इसके तहत शिक्षकों के लिए गुणवत्ता मानकों पर जोर देते हुए शिक्षा की राष्ट्रीय और एकीकृत भूमिका को मजबूत बनाने हेतु प्रयास करने और शिक्षा कर्मियों के विकास, अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में विशेष बल दिया गया था। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर दोहरी जिम्मेदारी के साथ शिक्षा को एक "समवर्ती विषय" के रूप में शामिल किया गया।

1986 – (नई) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE)
इसके तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यापक एकीकरण, वयस्क शिक्षा के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करने, निम्न आय वाले परिवारों के लिए प्रोत्साहन, प्राथमिक स्तर पर बाल–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई थी। साथ ही, मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के विस्तार पर भी जोर दिया गया था।

1987-88 – शिक्षक शिक्षा हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत
इसमें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की स्थापना और शिक्षक शिक्षा में SCERTS मॉडल की भूमिका को बेहतर करने हेतु प्रयास किया गया था।

1993 – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
इसे प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके उपरांत वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई।

1995 – मध्याह्न भोजन योजना
इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन प्रदान कर उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना है। इसे वर्ष 2001 और वर्ष 2004 में संशोधित तथा वर्ष 2019–20 में नाश्ते जैसे प्रावधान को शामिल करने हेतु इसका विस्तार किया गया।

2000-02 – सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
इसे नए स्कूलों (शिक्षा तक आसान पहुँच) के प्रावधान और मौजूदा स्कूल सुविधाओं को बेहतर बनाने के माध्यम से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके साथ ही, इसका उद्देश्य शिक्षक क्षमता और सहयोग में वृद्धि और शिक्षण–शिक्षा सामग्री (गुणवत्ता) में सुधार करना था।

2002 – शिक्षा का अधिकार
Right to Education Amendment
6वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार और छह वर्ष की आयु तक आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल संबंधी अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया था।

2005 – राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
National Curriculum Framework (NCF)
इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा विकसित किया गया था। इसके तहत रटने की प्रवृत्ति का त्याग करने और अधिक बाल केंद्रित प्रथाओं को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया गया था।

2007-08 – मॉडल स्कूल योजना
यह सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से संचालित एक पहल है। इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में उत्कृष्टता के मानक के रूप में 6,000 मॉडल स्कूलों (प्रत्येक ब्लॉक में एक) की स्थापना पर जोर दिया गया है।

2008

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना

इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देते हुए माध्यमिक (14–18 वर्ष) शिक्षा में लड़कियों/बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना है। इस योजना के तहत माध्यमिक कक्षा की बालिकाओं के लिए 3,000 रुपये जमा करने का भी प्रावधान है। इस राशि को माध्यमिक शिक्षा व 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद निकाला जा सकता है।

2008

बालिका छात्रावास योजना

यह योजना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण और संचालन हेतु शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल के निकट लड़कियों के लिए आवास उपलब्ध कराना है ताकि स्कूल की दूरी, वित्तीय बाधाओं और संबंधित सामाजिक कारकों के कारण स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या को कम किया जा सके। इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में शिक्षा से वंचित लड़कियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

2008

राष्ट्रीय–आय–सह मेधा छात्रवृत्ति

कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा को जारी रखने हेतु वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया था।

2009

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसमें बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराने तथा विज्ञान और ICT शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। साथ ही, गुणवत्ता, और शिक्षा की सार्वभौमिक/समान पहुँच (लिंग, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और अक्षमताओं के बावजूद) पर भी जोर दिया गया है। इसमें माध्यमिक स्तर पर नामांकन एवं माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने के बीच अनुपात को कम कर समावेशिता में सुधार लाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। (नीचे उल्लिखित भारत सरकार द्वारा शुरु की गई शिक्षा पहलों का संदर्भ लें)।

2009-10

शिक्षा का अधिकार या आर.टी.ई. अधिनियम

इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्थानीय स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही एक अधिकार–आधारित ढाँचे को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार पर कानूनी दायित्व शामिल हैं। साथ ही शिक्षक–छात्र अनुपात, स्कूल के कार्य दिवस और शिक्षक के काम करने के घंटे और योग्यता के साथ–साथ शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न और विद्यार्थियों के चयनात्मक प्रवेश को प्रतिबंधित करने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

2009-10

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा

इसके अंतर्गत सभी दिव्यांग छात्रों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु सहायता प्रदान की गई है।

2012

शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग

विचार–विमर्श के बाद इस आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत में शिक्षक–शिक्षा के प्रावधान में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं थीं।

2014

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

इसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाना और लड़कियों के जीवन, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना है। इसमें लड़कियों के लिए शौचालय और पीने योग्य जल की सुविधाओं के निर्माण संबंधी प्रतिबद्धताएँ भी शामिल हैं, ताकि लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट की संख्या को कम किया जा सके।

2014

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की व्यवस्था करना है। इसमें दस लाख मुस्लिम बच्चों को लाभावांतित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2015

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

इसे विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्सुकता, रचनात्मकता और रुचि को प्रोत्साहित करने और स्कूलों एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच मजबूत संबंध विकसित करने के लिए शुरू किया गया था।

2018

समग्र शिक्षा अभियान

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र **सतत विकास लक्ष्य–4** के अनुरूप, प्री–स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता सुनिश्चित करना और समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें SSA , RMSA और शिक्षक शिक्षा को समाहित और विलय किया गया है।

2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

इस नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख पहलुओं में सुधार पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। साथ ही, RTE अधिनियम को और मजबूत कर शैक्षिक अभिशासन ढाँचे में कई बदलाव किए गए हैं।

- **प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण:** यूनेस्को के अनुसार, वर्ष 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (और वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान) के अंगीकरण के बाद से, भारत अपने यहाँ "स्कूली शिक्षा से वंचित" बच्चों की संख्या में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी करने में सफल रहा है।
  - साक्षरता दर में (वर्ष 1951 के 18.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001 में 65% और वर्ष 2021 में 74%) वृद्धि प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि का ही एक स्वाभाविक परिणाम है।

- **लैंगिक समानता की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि:** प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा दावा किया गया है कि दक्षिण और पश्चिम एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, दोनों में लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात लगभग समान है। 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' (BBBP), सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसी कई पहलों ने इस बदलाव में योगदान दिया है।
- **स्कूलों की संख्या में वृद्धि:** सरकारी अनुमानों के अनुसार, भारत में स्कूलों की कुल संख्या वर्ष 2000 के 971,000 से बढ़कर वर्ष 2015 में 15.2 लाख हो गई। इसे सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों, विशेष रूप से सर्व शिक्षा अभियान और RTE अधिनियम जैसी प्रमुख पहलों का परिणाम माना जा सकता है।
- **निजी भागीदारी में वृद्धि:** ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों का प्रतिशत, वर्ष 2011 में बढ़कर लगभग 25% तक पहुँच गया। इस परिवर्तन के लिए आंशिक रूप से RTE अधिनियम, 2009 उत्तरदायी रहा है, जो निजी स्कूलों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करता है।
  - निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि होने से शिक्षकों की व्यापक उलब्धता भी सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
- **एक मजबूत संस्थागत ढाँचे का विकास:** स्वतंत्रता के बाद, NCERT, CBSE, राज्य बोर्ड्स जैसे शैक्षिक बोर्ड्स में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड्स के मानकों के अंगीकरण आदि से शिक्षा के संस्थागत और नियामक ढाँचे को मजबूत बनाने में भी मदद मिली है।

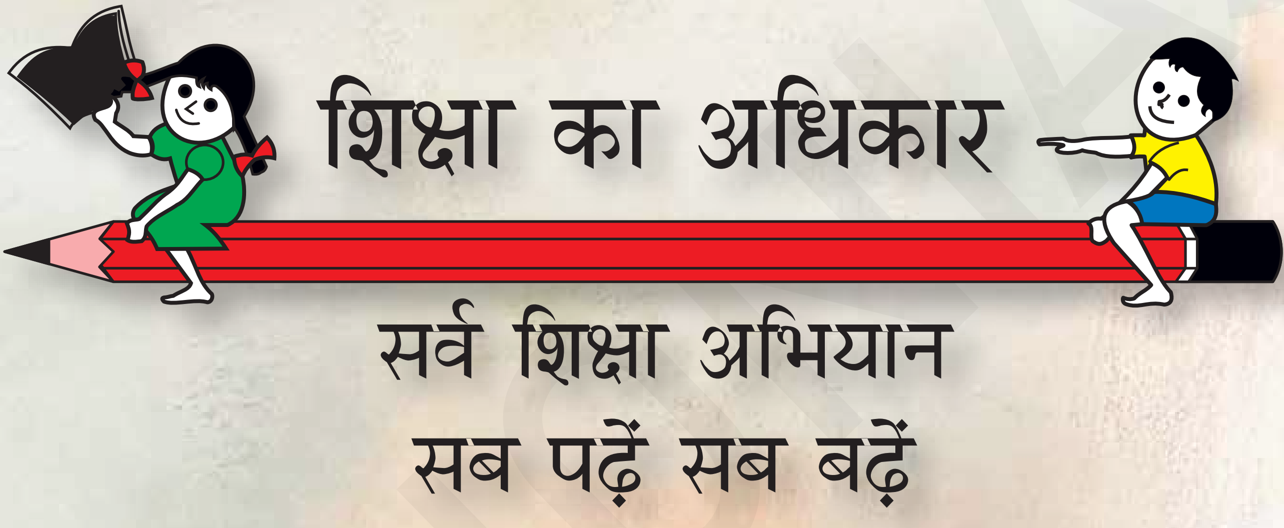

दो प्रमुख स्तंभ: शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान

भारत सरकार की दो प्रमुख पहलों, यथा– वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 ने शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच, समावेशिता और गुणवत्ता के मुद्दों पर अधिक ध्यानाकर्षण किया है।

वर्ष 2009 के RTE अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिकार की पूर्ति **प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण** के उद्देश्य के साथ सर्व शिक्षा अभियान द्वारा की जा रही है।

इन दो पहलों के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

- औपचारिक शिक्षा में समानता लाने के लिए देश के दूर–दराज के गांवों में स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं। साथ ही, सभी निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों को "कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित" बच्चों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना आवश्यक है।
- आर.टी.ई. ने **सतत और व्यापक मूल्यांकन** (Continuous and Comprehensive Evaluation: CCE) का मार्ग प्रशस्त किया है। यह एक ऐसी प्रणाली है, जिससे शिक्षकों से शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक (पाठ्येतर) दोनों क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए रचनात्मक और साथ ही योगात्मक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है।
- अध्ययनों से पता चला है कि "नो–डिटेंशन पॉलिसी (NDP)" (RTE का हिस्सा) का अकादमिक लर्निंग परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे **सीखने के "भय मुक्त" माहौल** का निर्माण हुआ है।

स्कूली शिक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य महत्त्वपूर्ण कदम

- निम्नलिखित पहलों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रित प्रयास किये गए हैं:
  - लर्निंग परिणामों को शामिल करने हेतु आर.टी.ई. नियमों में संशोधन तथा सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए और आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 में संशोधन।
  - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA/निष्ठा)।
  - स्कूली शिक्षा के लिए एकल स्रोत डेटा का विकास – शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education: UDISE) का पुनर्गठन।
  - **परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स** (PGI): PGI-**राज्य और** PGI- **जिला** के गठन के विचार का विस्तार करके PGI में सुधार।
  - NCERT द्वारा घोषित वर्ष 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) की व्यापक समीक्षा।
  - नीति आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI)।
  - NIPUN/निपुण (राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल)।
- **छात्र केंद्रित पहल:**
  - **परीक्षा पे चर्चा:** इसमें प्रधान मंत्री देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हैं।
  - अन्य पहलों में मध्याह्न भोजन योजना में सुधार, प्रधान मंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम– ध्रुव (DHRUV) आदि शामिल हैं।
- **डिजिटलीकरण और तकनीकी पहल:**
  - **स्वयं** (SWAYAM): यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) के प्रारूप में सभी विषयों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
  - **दीक्षा:** यह एक ऐसा मंच है, जिसे, सीखने के संसाधनों तक शिक्षकों की पहुँच सुनिश्चित करने और व्यावसायिक विकास के उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है।

भारत की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ

विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक

पात्रता परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षक — 25%

इंटरनेट तक पहुँच — <50%

लगभग 15 लाख स्कूल	लगभग 80 लाख शिक्षक	जबकि 26 करोड़ छात्र
चीन की तुलना में भारत में 3 से 4 गुना अधिक स्कूल हैं	केवल एक चौथाई शिक्षक ही पात्रता परीक्षा में सफल हो पाए हैं	50% से कम छात्रों के पास इंटरनेट तक पहुँच उपलब्ध है

अलग-अलग संस्थाओं का गठन

शिक्षा मंत्रालय

- NCERT
- बोर्ड्स
  - ICSE की भांति अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड
  - CBSE
  - राज्य बोर्ड
  - ओपन स्कूलिंग
- NCTE

स्कूलों के प्रकार

- गुरुकुल और मदरसा जैसे धार्मिक संस्थान
- सरकारी स्कूल
- अर्द्ध-सरकारी स्कूल
- निजी स्कूल
- अन्य प्रकार के स्कूल, जैसे– सैनिक स्कूल

स्कूल – एक परिचय

10 (कक्षा 1–10) | +2 (कक्षा 11–12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

स्कूल में व्यतीत एक दिन

4/5 हिस्सा– पढ़ाई | 1/5 हिस्सा – खेल-कूद आदि

राजकीय भाषा | अंग्रेजी | तीसरी भाषा

त्रि-भाषा सूत्र

परीक्षा परिणाम

- IIT-JEE जैसी परीक्षाओं के लिए आवश्यक
- महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवश्यक

हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में कौन–सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

अकादमिक चुनौतियाँ

- **रट्टा–आधारित बनाम योग्यता–आधारित शिक्षा पर ध्यान:** वर्तमान में, अधिकांश स्कूलों का ध्यान मुख्य रूप से पाठ्यक्रम को पूरा कराने और परीक्षा के लिए पढ़ाने पर है।
- **अनुपयुक्त सुधारात्मक कार्यक्रम, जो लर्निंग के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम हैं:** किसी कक्षा में छात्र के लिए अलग–अलग लर्निंग या अधिगम स्तर की आवश्यक होती है। इसमें से कई वर्तमान ग्रेड स्तर के अनुरूप नहीं हैं। सभी छात्रों के लिए एकल शिक्षण मॉडल का अंगीकरण इस अंतर को और बढ़ा देता है तथा इससे सीखने की प्रक्रिया को वर्ष–दर–वर्ष नुकसान पहुँचता है।
- **अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा विशेषकर 9वीं से 12वीं कक्षा तक:** बढ़ती प्रतिस्पर्धा संस्कृति का हिस्सा बनने के कारण, छात्र सीखने की बजाय ग्रेड पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता बेहद हानिकारक है। यह उस व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है जहाँ छात्र द्वारा केवल एक परीक्षा के लिए जानकारी एकत्रित की जाती है और फिर बाद में इसे भूला दिया जाता है।
  - इस तरह की संस्कृति का प्रसार, छात्रों के लिए बहुत अधिक तनाव तथा दबाव का कारण बन सकता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य और आत्म–सम्मान प्रभावित होता है, विशेषकर यदि छात्र वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हो।

- **कमजोर मूल्यांकन और सीखने से संबंधित बारीक तथा रियल टाइम आँकड़ो को ट्रैक हेतु साधनों का अनुपलब्ध होना:** मानकीकृत आकलन पर बढ़ती निर्भरता ने परीक्षा के लिए शिक्षण, संकीर्ण पाठ्यक्रम, नकल में शिक्षकों की भागीदारी और छात्रों के अलगाव जैसे मुद्दों को जन्म दिया है। इससे शिक्षण सामग्री, पढ़ाने की पद्धति, प्रशिक्षण सामग्री आदि को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है।
- **शिक्षकों की क्षमता से संबंधित अवरोध और उन्हें संबोधित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव:** नीति आयोग के एक अनुमान के अनुसार, कई शिक्षक जो विषय खुद पढ़ाते हैं, उस ग्रेड/कक्षा के प्रश्न–पत्र में उनका स्कोर <60-70% है। वर्तमान प्रशिक्षण मॉडल इस बड़े अंतराल को भरने में असमर्थ है।
  - मौजूदा मॉडल के समक्ष विद्यमान मुद्दों में 'आवश्यक अवधि से कम प्रशिक्षण', 'सभी छात्रों के लिए एकल शिक्षण मॉडल', 'शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए कोई विशेष प्रणाली की अनुपलब्धता' और 'कक्षा में प्रभाव/परिवर्तन की ट्रैकिंग का अभाव आदि' शामिल हैं।

संस्थागत ढाँचा और क्षमता से संबंधित मुद्दे

- संसाधनों की कमी और इनके अप्रभावी वितरण में योगदान देने वाले उप–स्तरीय स्कूल: भारत के लगभग 11 लाख सरकारी स्कूलों में से लगभग 4,00,000 स्कूलों में 50 से भी कम छात्र नामांकित हैं।
  - ये उप–स्तरीय स्कूल कई चुनौतियों से ग्रस्त रहे हैं। इनमें 'कई जगह अधिकतम दो शिक्षकों की उपस्थिति है और जिसमें से एक ही शिक्षक द्वारा कई कक्षाओं में पढ़ाने और विषय–विशिष्ट विशेषज्ञता तथा ध्यान की कमी जैसी समस्याएँ मौजूद रही हैं। इसके साथ ही समर्पित प्रधानाचार्यों, खेल के मैदानों, चारदीवारी या पुस्तकालयों जैसी सुविधाओं का भी अभाव रहा है।
- **शिक्षकों की कमी:** देश भर में लगभग दस लाख शिक्षकों की आवश्यकता है तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के संकेंद्रण से ऐसी चुनौतियों को और बढ़ावा मिला है।
- **प्रशासनिक कार्यों में शिक्षकों की अत्यधिक भागीदारी:** राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक वर्ष में शिक्षकों की कुल स्कूली अवधि का केवल 19% हिस्सा ही शिक्षण गतिविधियों पर लगता है। शेष अवधि गैर–शिक्षण गतिविधियों जैसे कि चुनाव ड्यूटी, डेटा संग्रह, मध्याह्न भोजन वितरण आदि पर व्यय होता है।
- **अनुपयुक्त रूप से गठित शिक्षा विभाग तथा इनसे संबंधित नियुक्तियों का रिक्त होना:** राज्यों में शिक्षा विभाग की संगठनात्मक संरचना आमतौर पर विभाग के विभिन्न हिस्सों में कार्यों और जिम्मेदारियों के बोझ टेल दबा हुआ है।
- **पाठ्यक्रम डिजाइन का अकादमिक शिक्षा की ओर अधिक केन्द्रित होना:** स्कूल अवधि का 1/5 से भी कम समय, छात्रों द्वारा अकादमिक से अलग गतिविधियों पर व्यय किया जाता है जैसे कि कला, संगीत, नृत्य और खेल आदि गतिविधियों पर।

- **बुनियादी ढाँचे से संबंधित मुद्दे:** शहरों के अलावा, ज्यादातर स्थानों पर छात्रों को स्कूलों तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा, नवीनतम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर में 6,000 से अधिक स्कूलों में अवसंरचना/इमारतों का अभाव है। लगभग 20% स्कूलों में बिजली कनेक्शन, पीने योग्य जल और हाथ धोने की सुविधा की भी कमी है। केवल 20% स्कूलों में ही विशेष **आवश्यकता वाले बच्चों** के अनुकूल कार्यात्मक शौचालय स्थापित किये जा सके हैं। साथ ही कई में, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय का भी अभाव है।
    - उक्त सभी कारकों के परिणामस्वरूप **स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में बढ़ोतरी** हुई है। भारत में 47 मिलियन किशोर बच्चे उच्च माध्यमिक विद्यालय से आगे पढाई पूरा करने में विफल रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है।

शासन और जवाबदेही से संबंधित मुद्दे

- **शिक्षा का अत्यधिक व्यावसायीकरण:** यह शिक्षा क्षेत्र को एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करता है जिससे अनैतिक कार्य प्रणालियों को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें प्रवेश संबंधी भ्रष्टाचार, स्कूली व्यय को वहन करने में घटता सामर्थ्य आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- **प्रचलित सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में आवश्यक प्रयासों की अपर्याप्ता:** जाति आधारित भेदभाव जैसे– कि जातीय मुद्दे, पितृसत्ता जैसे लैंगिक मुद्दे और गरीबी जैसे आर्थिक मुद्दे विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के मध्य स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को बढ़ा देते हैं।
- **सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर अल्प व्यय:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत में, शिक्षा पर होने वाले व्यय में उतार–चढ़ाव देखा जा सकता है। यह खर्च वर्ष 2000–01 के 4.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 3.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1968 के बाद से प्रत्येक राष्ट्रीय नीति द्वारा ळक्च का 6% व्यय करने की सिफारिश की गई है।
- **शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में प्रौद्योगिकी सक्षम डेटा प्रणाली का अभाव:** डेटा अस्पष्टता के कारण अक्सर इनसे संबंधित लिए गए बहुत से निर्णयों में तथ्य तथा विवेक का अभाव रहा है।
- **जवाबदेही तथा प्रदर्शन–आधारित समीक्षाओं और प्रोत्साहनों का अभाव:** सरकारी शिक्षकों के मौद्रिक लाभ तथा पेशेवर विकास प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन से संबद्ध नहीं रहे हैं। अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय पर स्वच्छ मध्याह्न भोजन का प्रावधान आदि जैसे परिणामों को प्राप्त करने हेतु उन्हें कोई वास्तविक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुए हैं।

महामारी के प्रकोप ने इन मुद्दों की गंभीरता को और बढ़ा दिया है, जिससे सीखने के परिणामों में अत्यधिक कमी तथा पढ़ाई छोड़ने की दर में व्यापक वृद्धि हुई है। साथ ही, डिजिटल अन्तराल की व्यापकता के कारण शिक्षा तक पहुँच अंतराल में भी बढ़ोतरी हुई है।

एक छोटी वार्ता!

कोविड–19 के दौरान स्कूली शिक्षा

विनय: अरे विनी। क्या तुम आज की सुबह की कक्षा में भाग लोगी?

विनी: नहीं, मेरे फोन में इंटरनेट कनेक्शन बहुत कमजोर है। ऐसे में कक्षा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है।

विनय: तुम कभी स्कूल में क्लास नहीं छोड़ती थी, लेकिन आजकल तुम नियमित रूप से ही ऐसा कर रही हो।

विनी: मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं है, लेकिन मेरे माता–पिता अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता को नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह पैसे की बर्बादी है।

विनय: तुम बहुत होनहार छात्रा हो, तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए।

विनी: मैं हार नहीं मान रही हूँ, लेकिन ध्यान भंग होने और खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण घर पर पढ़ाई कर पाना बहुत अधिक तनावजनक हो जाता है। मैं स्कूल के अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाती।

विनय: मेरे कई दोस्त भी तनाव में थे और लॉकडाउन के चलते पढ़ाई से दूर हो गए थे। एक परामर्शदाता से बात करने के बाद उन्हें काफी मदद मिली है। तुम भी यह कोशिश कर सकती हो। दरअसल, हमारे इतिहास के शिक्षक शर्मा सर भी परामर्श देते हैं, हो सकता है वह तुम्हारे माता–पिता से बात कर लें।

विनी: धन्यवाद विनय। मैं स्कूल के बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगी।

उसी दिन कुछ समय के बाद

विनी : हेलो सर, मैं विनी हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई को जारी रखने में कुछ समस्या आ रही है, विनय ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे इस संबंध में बात कर सकती हूँ।

शर्मा सर : हेलो विनी। मुझे मदद करके खुशी होगी। तुम किस समस्या का सामना कर रही हो?

विनी : सर घर पर पढाई करना बहुत मुश्किल है, टीचर जो पढ़ाते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है और मेरे माता–पिता भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए तथा कुछ और करना चाहिए?

शर्मा सर: इन मुद्दों को स्वीकार करना अपने आप में परिपक्वता को दर्शाता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि, यह एक अस्थायी चरण है और यह कितना भी मुश्किल हो लेकिन बीत जाएगा। साथ ही, आपकी तरह आपके माता–पिता और शिक्षकों को भी सीखने के नए तरीकों तथा उससे संबंधित तकनीक से परेशानी हो रही है।

विनी: फिर मुझे क्या करना चाहिए सर?

शर्मा सर: अपने शिक्षकों और माता–पिता के साथ बातचीत जारी रखो। इससे उन्हें तुम्हारी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने और तुम्हारे तनाव को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। तुम डाउट क्लियर करने के लिए अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हो या फोन पर बात करने जैसे तरीके आज़मा सकती हो। किसी भी मामले में, बस अपनी चिंता शिक्षकों के साथ साझा करों। हम सामूहिक रूप से कोई रास्ता निकालेंगे।

विनी: धन्यवाद सर! आपसे बात करके बहुत मदद मिली।

नई शिक्षा नीति कैसे इन मुद्दों का समाधान करती है?

नई शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रयासों के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करना है:

क्षेत्र	हस्तक्षेप
लर्निंग के बुनियादी आधार को मजबूत करना	• 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए NCERT द्वारा एक "प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचा" (NCPFECCE) विकसित किया जाएगा। ◦ भारत की अनेक समृद्ध स्थानीय परंपराएँ जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत आदि शामिल हैं, को भी इसमें उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।
आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हेतु प्रयास	• इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (इसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना था) द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। ◦ विकास की समग्र प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस मिशन में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आयाम के साथ–साथ अपेक्षित शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा अध्ययन सामग्री भंडार के विकास को भी शामिल किया जाएगा।
स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना	• यह प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करके किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को सभी स्तरों पर सुरक्षित तथा आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। ◦ छात्रों तथा उनके सीखने के स्तर, दोनों की ट्रैकिंग पर विशेष ध्यान केन्द्रित करके इस दिशा में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
स्कूली पाठ्यक्रम और अध्यापन/शिक्षण–पद्धति का नवीनीकरण/पुनर्गठन	• अब 10+2 वाले मॉडल के बजाय 5+3+3+4 फार्मेट को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री–प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। यह संरचना छात्रों के विकास के विभिन्न चरणों में विकासात्मक आवश्यकताओं तथा उनके हितों को ध्यान में रखेगा। इसमें शामिल हैं: ◦ छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करना। ◦ पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती करना। ◦ प्रायोगिक शिक्षा (एक्सपेरिमेंटल लर्निंग) पर ध्यान देना। ◦ पाठ्यक्रम चयन में लचीलेपन को बढ़ावा देना। ◦ त्रिभाषा सूत्र में लचीलापन प्रदान करना।

	आवश्यक विषयों, कौशल और क्षमताओं हेतु **एकीकृत पाठ्यक्रम।** स्थानीय सामग्री और दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों का विकास। उच्च–श्रेणी के कौशल जैसे कि विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच क्षमता आदि का परीक्षण करने के लिए आकलन पद्धति में बदलाव। विशेष प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए **पूरक पाठ्य सामग्री, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन।** 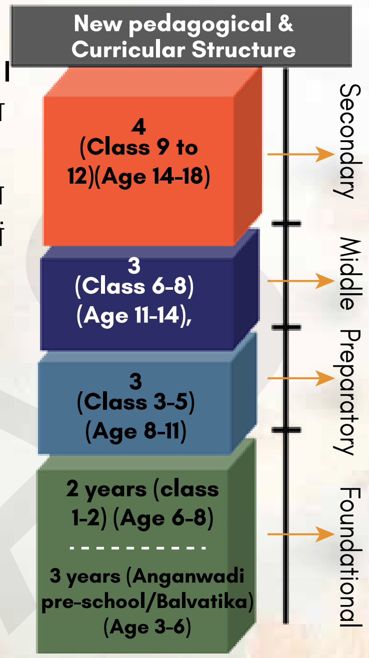
शिक्षण पद्धति का रूपांतरण	इसे निम्नलिखित सुधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा: शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **छात्रवृत्ति प्रदान करना और शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ** (TETs) **आयोजित करना।** प्रभावी ढंग से कार्य करने की शिक्षकों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए **स्कूलों के वातावरण और संस्कृति में बदलाव** करना। कार्यशालाओं के माध्यम से **सतत व्यावसायिक विकास** सुनिश्चित करना। **बेहतर करियर प्रबंधन और प्रगति** को बनाए रखना। **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक** (NPST) हेतु एक सामान्य दिशा–निर्देश तैयार करना। दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त व विशेष शिक्षक उपलब्ध कराना।
शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी बनाना	स्कूली शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए **पृथक रणनीतियाँ** तैयार की जाएँगी। उदाहरण के लिए, साइकिल प्रदान करना और स्कूल तक पहुँच प्रदान करने के लिए साइकिल चलाने वाले तथा पैदल चलने वाले समूहों का गठन करना।
कुशल संसाधन और प्रभावी शासन	**स्कूल परिसर/स्कूल क्लस्टर की स्थापना करना।** इसमें पाँच से दस किलोमीटर के दायरे में आने वाली आंगनवाड़ी तथा शुरुआती स्तर की कक्षाओं को संचालित करने वाले अन्य सभी स्कूलों सहित एक माध्यमिक विद्यालय भी शामिल होगा।
मानक–निर्धारण और मान्यता	विनियमन का उद्देश्य **स्कूलों और शिक्षकों को विश्वास के साथ सशक्त** बनाना है, ताकि वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकें तथा अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। इसके साथ ही पूर्ण पारदर्शिता को लागू करके और समस्त वित्त, प्रक्रियाओं और शैक्षिक परिणामों के पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण से व्यवस्था की अखंडता को सुनिश्चित करेगा।
अन्य प्रमुख क्षेत्र	**प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण:** प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु एक स्वायत्त निकाय, **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच** (NETF) को स्थापित किया जाएगा। **ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करना:** इसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रारंभिक अध्ययन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, अध्ययन सामग्री भंडार, सीखने के मिश्रित मॉडल आदि शामिल हैं। **केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड** (CABE) **को सुदृढ़ बनाना:** CABE शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित मुद्दों के व्यापक परामर्श और परीक्षण के लिए उपयोग किये जाने वाला एक मंच है। **वित्तीय प्रतिबद्धता:** इस नीति के तहत शिक्षा में (केंद्र और राज्य सरकार सहित) सार्वजनिक निवेश (GDP का 6% तक) में पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

एक छोटी वार्ता!

क्या NEP शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव ला सकती है?

विनी: अरे विनय! क्या तुम्हारा स्कूल अगले सप्ताह आयोजित होने वाले अंतर–विद्यालय हॉकी टूर्नामेंट में भाग ले रहा है?

विनय: नहीं विनी। मेरे स्कूल में किसी भी खेल के लिए कोई टीम नहीं है। वास्तव में, मेरा स्कूल पाठ्येतर गतिविधियों में किसी भी प्रकार की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं करता है।

विनी: लेकिन तुम्हारा स्कूल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। प्रत्येक वर्ष जिले का टॉपर तुम्हारे स्कूल से होता है। साथ ही, तुम्हारा स्कूल मेरे जितना खर्चीला भी नहीं है।

विनय: मैं सहमत हूँ। शिक्षक बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन परीक्षा का पैटर्न ऐसा है कि हम समझने से ज्यादा याद रखने पर जोर देते हैं। मुझे शायद ही याद हो कि मैंने पिछले वर्ष क्या सीखा था।

विनी: यह स्थिति तो मेरे स्कूल में भी है। हम शायद ही कभी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। शिक्षक हमेशा पाठ्यक्रम पूरा करने की जल्दी में होते हैं। ऐसा क्यों है कि हम सप्ताह के 6 दिन 6 घंटे स्कूल जाते हैं और फिर भी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता है?

विनय: शायद बड़े पाठ्यक्रम के कारण ऐसा हो। गाँवों में यह समस्या और भी गंभीर है। हमारे पैतृक गाँव में मेरे चचेरे भाई ने मुझे बताया है कि उसका स्कूल ज्यादातर बंद ही रहता है और शिक्षक शायद ही कभी आते हैं।

विनी: यह दुख की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक छात्र को शिक्षा का अधिकार है। मैं ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ जिसमें अच्छे शिक्षक हों, पाठ्येतर गतिविधियाँ आयोजित की जाती हों और फीस ऐसी हो जिसे मेरे माता–पिता द्वारा वहन किया जा सकें। लेकिन यह एक सपने जैसा लगता है।

विनय: निराश मत हो। क्या तुमने नई शिक्षा नीति के बारे में सुना है? यह बहुत प्रगतिशील और भविष्यवादी है। इससे स्कूली शिक्षा में कुछ आमूल–चूल परिवर्तन हो सकते हैं।

विनी: यह सुनने में रोमांचक लगता है। चलो देखते हैं, क्या होता है।

शैक्षणिक परिवेश के लिए एक परिवर्तनकारी विचार की कल्पना करते हुए इसके उद्देश्य/लक्ष्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, इस विज़न को साकार करने में समय लगेगा। इस प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है?

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए क्या हस्तक्षेप किये जा सकते हैं?

- **शैक्षणिक सुधारों पर ध्यान देना:**
  - **योग्यता ढाँचे को अपनाना:** जहाँ सीखने के परिणामों को इस बात से मापा जाता है कि किसी कक्षा ने, दी गई योग्यता में कितनी अच्छी तरह महारत हासिल की है।
  - **मूल्यांकन सुधार हेतु प्रयास करना:** स्पॉट टेस्टिंग प्रारूपों के माध्यम से बेहतर ढंग से डिजाइन किये गए प्रश्न–पत्रों की सहायता से स्मृति–परीक्षण से 'दक्षता, गहन चिंतन तथा अवधारणात्मक स्पष्टता' संबंधी परीक्षण की ओर बढ़ना।
  - **लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना:** सुधारात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, पूरे शैक्षणिक वर्ष सीखने के स्तर के आधार पर छात्रों को समूहीकृत किया जाना चाहिए ताकि अंतराल को धीरे–धीरे कम किया जा सके।

प्रेरणा (Inspiration)
'सीखने के प्रतिफल' (हिमाचल प्रदेश): यह पाठ्यक्रम पूरा करने की बजाय "लर्निंग आउटकम्स या सीखने के परिणामों" पर केंद्रित है।

प्रेरणा
स्पॉट टेस्टिंग एंड लर्निंग ट्रैकिंग फॉर्मेट (झारखंड): यह सीखने की क्षमताओं के परीक्षण में सफल रहा है।

प्रेरणा
ज्ञान सेतु (झारखंड): यह एक लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम है।

- **डिजिटल लर्निंग (भौतिक/दूरस्थ कक्षाओं में) को प्रोत्साहित करना:** डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण, सुव्यवस्थित सामग्री प्रसार वाले चैनलों के निर्माण और डिजिटल रूप से पृथक लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए डिजिटल लर्निंग को पूरक बनाया जाना चाहिए।

स्कूली शिक्षा में निम्नलिखित चार प्रकार के डिजिटल हस्तक्षेपों का लाभ उठाया जा सकता है

कंप्यूटर लैब	स्मार्ट क्लासरूम	प्रसारण नेटवर्क	अभिभावक के स्मार्टफोन

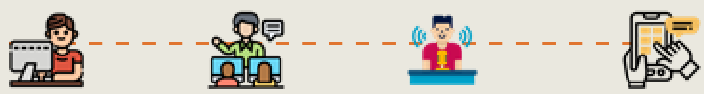

- **प्रशासनिक और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना:**
  - **स्कूल को अनुकूल बनाना:** नई शिक्षा नीति (NEP), 2020 द्वारा प्रचारित **स्कूल परिसरों** की परिकल्पना को अगले 2–3 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इसे कई चरणों में पुनर्गठन के एक रणनीतिक रोडमैप तथा मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है।
  - एक मजबूत शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (E–MIS) का निर्माण करके **तकनीकी और डेटा सिस्टम के माध्यम से प्रशासनिक क्षमता** को बढ़ाया जा सकता है।
  - **संस्थानों का नवीनीकरण/पुनर्गठन:** इसमें प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों (जैसे– SCERT) को मजबूत बनाना, समान गतिविधियों वाले विभागों का विलय और भविष्य के लिए एक शिक्षा विभाग को डिजाइन करना शामिल है।
  - **संचार को सुव्यवस्थित/सुचारू बनाना:** विभिन्न स्तरों के बीच, यानी ऊपर (राज्य) से नीचे (शिक्षक) तथा इसके विपरीत नीचे से उपर तक आदि के बीच सुव्यवस्थित और निर्बाध सूचना साझाकरण को सुनिश्चित करना।
- **मानवीय क्षमता को मजबूत करना:**
  - पारदर्शी स्थानांतरण नीति विकसित करके **शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती और उनके युक्तिकरण को सुनिश्चित करना।**
  - **अनुकूलित और तकनीक आधारित शिक्षक प्रशिक्षण और परामर्श को सुनिश्चित करना।**
- **जवाबदेही बढ़ाना:** नियमित दौरों और प्रखंड अधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग के माध्यम से अकादमिक निगरानी और डेटा समर्थित समीक्षा को सुनिश्चित करना।
- **परिवर्तन हेतु साझा दृष्टि और प्रेरणा का निर्माण करना:**
  - प्रणालीगत परिवर्तन पर केंद्रित प्रयासों के लिए प्रमुख कारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  - हितधारकों को प्रोत्साहित करके प्रणाली के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

प्रेरणा
राजस्थान में आदर्श स्कूलों की स्थापना हेतु स्कूलों का एकीकरण।

प्रेरणा
शाला दर्पण MIS (राजस्थान), जिसने सूचित डेटा के माध्यम से निर्णय लेने में मदद की है।

प्रेरणा
ओडिशा में शिक्षा विभाग के पुनर्गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव लाया गया है।

प्रेरणा
हिमाचल प्रदेश में व्हाट्सएप और एस.एम.एस. के माध्यम से सुगम संचार को सुनिश्चित किया गया है।

प्रेरणा
मध्य प्रदेश में एक ऑनलाइन शिक्षक युक्तिकरण प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसमें करीब 10,000 शिक्षकों को अधिक शिक्षक संख्या वाले स्कूलों से कम शिक्षक संख्या वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया गया है।

प्रेरणा
ओडिशा स्कूल मॉनिटरिंग ऐप (OSMA) ब्लॉक और जिला स्तर की समीक्षा हेतु एक आधार के रूप में कार्य करती है।

प्रेरणा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए वॉल ऑफ फेम पहल की घोषणा की है।

प्रेरणा
सक्षम घोषणा (हरियाणा) की प्रतिस्पर्धी भावना ग्रेड/कक्षा–स्तरीय योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष

"एक बच्चे के विकास में पूरे गाँव की भागीदारी होती है", लेकिन सैकड़ों बच्चों के विकास की जिम्मेदारी स्कूलों की होती है। सैकड़ों बच्चों को पालने के लिए हजारों लोगों की आवश्यकता होगी, जिसमें सरकार से लेकर समुदाय तक, माता–पिता से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक यात्रा को यथासंभव बेहतर बनाने के लिए स्कूलों के पुनर्गठन में सामाजिक प्रयासों को भी शामिल किया जाए।

अब तक हमने 'स्कूली शिक्षा' टॉपिक को कवर कर लिया है? इसके बाद हम उच्चतर शैक्षणिक जगत से आपको परिचय कराएंगे। बने रहिये!

टॉपिक – एक नज़र में

स्कूली शिक्षा का महत्त्व

- स्कूली शिक्षा, शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में **सीखने/अधिगम संबंधी बुनियादी आधार को स्थापित** करने में सहयोग करती है।
- यह समानता, सहानुभूति, मित्रता, ईमानदारी जैसे मूल्यों को विकसित करके **एक अतिसंवेदनशील बौद्धिक विशेषताओं को एक आकार प्रदान करती है।**
- यह स्कूल, अभिभावक और समुदाय, तीनों की उचित भूमिका के साथ **एक एकीकृत अधिगम परिवेश हेतु अवसर मुहैया कराती है।**
- यह साथियों, शिक्षकों और स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र की मदद से **खोज और आत्म–संधान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।**
- यह जागरूकता, चरित्र विकास और आवश्यक कौशल के विकास के माध्यम से व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं वैश्विक विकास को बेहतर बनाने में मदद करती है।

स्कूली शिक्षा के संदर्भ में उपलब्धियाँ और पहलें

- **प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य के करीब:** सर्व शिक्षा अभियान जैसी पहलों के माध्यम से।
- **लैंगिक समानता की ओर सकारात्मक प्रगति:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि आदि पहलों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किये गए हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार जैसी पहलों के कारण **स्कूल की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है।**
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ प्रक्रिया के मानकीकरण के बाद **निजी भागीदारी में भी बढ़ोतरी हुई है।**
- **NCERT**, सी.बी.एस.ई. आदि के रूप में एक मजबूत संस्थागत ढाँचे के विकास को सुनिश्चित किया गया है।
- सरकार द्वारा की गई अन्य प्रमुख पहलें:
  - शिक्षा की गुणवत्ता के लिए **निष्ठा (NISHTHA)**, **एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (U-DISE)**, **स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI)**, **निपुण (NIPUN)** आदि को पुनः डिजाईन किया गया है।
  - **परीक्षा पे चर्चा, मध्याह्न भोजन योजना** आदि जैसी छात्र केंद्रित पहलें।
  - **स्वयं (SWAYAM)** और **दीक्षा (DIKSHA)** जैसी डिजिटलीकरण व तकनीकी पहलें।

स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियाँ

शैक्षणिक चुनौतियाँ	संस्थागत संरचना और क्षमता संबंधी मुद्दे	शासन और जवाबदेही से संबंधित मुद्दे
• योग्यता–आधारित शिक्षा की बजाय **रट्टा–आधारित शिक्षा पर ध्यान देना।** • **अनुपयुक्त सुधारात्मक कार्यक्रम** जो **विभिन्न अधिगम स्तरों की आवश्यकताओं** की पूर्ति में अक्षम हैं। • **अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा**, खासकर 9वीं से 12वीं कक्षा तक। • **कमजोर आकलन** और सीखने से संबंधित बारीक तथा रियल टाइम आँकड़ो को ट्रैक करने के साधनों का अनुपलब्ध होना • **शिक्षकों की क्षमता से संबंधित** अवरोध और उन्हें संबोधित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव	• संसाधनों की कमी और अप्रभावी वितरण में योगदान देने वाले **उप–स्तरीय स्कूल।** • देशभर में लगभग **दस लाख शिक्षकों की कमी।** • शिक्षकों के कुल स्कूली अवधि का **अधिकतर हिस्सा प्रशासनिक कार्यों पर व्यय** होता है। • **अनुपयुक्त रूप से गठित शिक्षा विभाग** तथा इनसे संबंधित नियुक्तियों का रिक्त होना। • **पाठ्यक्रम डिजाइन का अकादमिक शिक्षा की ओर अधिक केन्द्रित** होना। • स्कूलों तक पहुँच और इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित **ढाँचागत मुद्दे।**	• **शिक्षा के अत्यधिक व्यावसायीकरण** से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना तथा स्कूली व्यय की वहनीयता में गिरावट आना। • शिक्षा से जुड़े प्रचलित सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में आवश्यक प्रयासों की अपर्याप्ता। • सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर अल्प व्यय। • शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में **प्रौद्योगिकी सक्षम डेटा प्रणाली का अभाव।** • जवाबदेही तथा प्रदर्शन–आधारित समीक्षाओं और प्रोत्साहनों का अभाव।

नई शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कदम

- **NCPFECCE** का विकास।
- आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हेतु प्रयास।
- **स्कूल छोड़ने की दर को कम** करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
- 5+3+3+4 डिज़ाइन के साथ स्कूली पाठ्यक्रम और अध्यापन/शिक्षण–पद्धति का नवीनीकरण करना।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि जैसे चरणों के साथ **शिक्षण में परिवर्तन** करना।
- स्कूल परिसर/स्कूल क्लस्टर की स्थापना करना।
- **GDP** के **6%** की वित्तीय प्रतिबद्धता।
- **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना।**
- **केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) को सुदृढ़ बनाना।**

स्तंभ	हस्तक्षेप
शैक्षणिक सुधारों पर ध्यान देना	• योग्यता ढाँचे को अपनाना • मूल्यांकन सुधार हेतु प्रयास करना • लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना • डिजिटल लर्निंग (भौतिक/दूरस्थ कक्षाओं में) को प्रोत्साहित करना
प्रशासनिक और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	• स्कूल को अनुकूल बनाना • तकनीकी और डेटा सिस्टम के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना • संस्थानों का नवनीकरण/पुनर्गठन • संचार को सुव्यवस्थित/सुचारू बनाना
मानवीय क्षमता को मजबूत करना	• शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती और उनके युक्तिकरण को सुनिश्चित करना • शिक्षक प्रशिक्षण और परामर्श देना • स्कूल नेतृत्वकर्ताओं में निवेश करना
जवाबदेही बढ़ाना	• अकादमिक निगरानी और डेटा समर्थित समीक्षा को सुनिश्चित करना
परिवर्तन हेतु साझा दृष्टि और प्रेरणा का निर्माण करना	• प्रमुख अभिकर्ताओं (जैसे कि अभिभावक, समुदाय) की भागीदारी को बढ़ाना • प्रतिस्पर्धात्मक ढाँचे को बढ़ावा देना